तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रसन्नचन्द ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 27/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-03-2022	अपीलार्थी प्रसन्नचन्द ओस्तवाल, निवासी 43, Strotten Muthia Mudali Street, 1st Floor Sowcarpet, Chennai-600079 द्वारा ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.10.2021 में उसके द्वारा (1) राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 11026/2010 जैन रत्न विद्यालय बनाम राज्य सरकार में राज्य सरकार जरिये सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जिला कलक्टर जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा तहसीलदार भोपालगढ को प्रभारी अधिकारी नियुक्ति करने के आदेश जारी किये गये दस्तावेज की प्रतियां दिलाने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 71 दिनांक 21.02.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 11026/2010 जैन रत्न विद्यालय बनाम राज्य सरकार में तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रभारी अधिकारी की हैसियत से दिनांक 14.03.2018 को अतिरिक्त शपथ पत्र के तथ्य किस आधार पर प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावेज क्यों नहीं प्रस्तुत किये गये इस तरह की सूचना अपीलार्थी द्वारा मांगी गई है तथा अपीलार्थी पिटिश्नर संस्था का पदाधिकारी है तथा रिट याचिका अभी लम्बित है इस तरह की सूचना नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा कि कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड की सूचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 65 दिनांक 16.02.2022 द्वारा बिन्दु संख्या 1, 3, 5 से संबंधित सूचना डाक से भेज दी गई है तथा बिन्दु संख्या 2 व 6 से संबंधित सूचना में विशिष्टियां का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नही है व बिन्दू संख्या–2 से संबंधित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। बिन्दु संख्या–7 में चाही गई सूचना अत्यधिक विस्तृत होने से लोक सूचना अधिकारी के संसाधनों को अनुपातहीन रूप से विचलित करने वाली है, सूचना दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के अनुसार जो सूचना देय थी वो प्रेषित की जा चुकी है तथा जो सूचना देय नहीं है उसके बारे में अवगत कराया जा चुका है, परन्तु अपीलार्थी को ये सूचना विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि लगातार....	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:15:41 IST
Reason: SelfAttested

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करें। अपील इस स्टेज पर निरस्त की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। अपीलार्थी इस आदेश से व्यथित है तो द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को करने का प्रावधान है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:15:41 IST
Reason: SelfAttested